

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0-422 / 2021

दाउदनगर थाना कांड संख्या-267 / 2021

17.09.2021

आवेदक ट्रैक्टर निबंधन सं0-BR26GA3889 एवं टेलर निबंधन संख्या-BR26GA5604 का स्वामी दीपक कुमार के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक-06.09.2021 को ई-फायलिंग के तहत दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु उसी आशय का एक अन्य आवेदन दाखिल किया गया । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक-06.09.2021 को दाखिल आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0- BR26GA3889 एवं टेलर निबंधन संख्या-BR26GA5604 दाउदनगर थाना द्वारा दिया जप्त किया गया है । उक्त वाहन का स्वामी आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है । अतः आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-BR26GA3889 एवं टेलर निबंधन संख्या-BR26GA5604 दाउदनगर थाना द्वारा बालू चोरी के आरोप में जप्त किया गया है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त वाहन से सम्बन्धित प्रतिवेदन में सम्बन्धित थाना द्वारा यह दर्शित किया गया है कि “ उक्त वाहन को मुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है ” । जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के पत्रांक-1167/ख0 दिनांक-25.08.2021 के प्रतिवेदन से विदित होता है कि आवेदक के द्वारा जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद में अर्थदण्ड की राशि मो0-15215/-रुपया जमा किया है । उक्त वाहन का स्क्रीन प्रतिवेदन कार्यालय जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक-916/परि0 दिनांक-03.09.2021 के तहत समर्पित किया गया है, जिसमें उक्त वाहन का स्वामी का नाम दीपक कुमार, ट्रैक्टर निबंधन संख्या-BR26GA3889, इंजन सं0-39.1355/SYN16240, चेसिस सं0-WSTN28428117176 एवं टेलर निबंधन संख्या-BR26GA5604, इंजन सं0-00000, चेसिस सं0-SEW0029/2018 अंकित है । उक्त वाहन के स्वामी दीपक कुमार की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं बीमा की मूल प्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निबंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर की कमशः दुरुस्ती दिनांक-26.06.2020 एवं 03.12.2020 तक यानी तंदुरुती की वैधता समाप्त हो गई है, अद्यतन कर भुगतान एकमुश्त की गई है, जबकि वाहन दिनांक:-27.06.2022 की मध्य रात्रि तक बीमित है । उक्त वाहन व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत है लेकिन आवेदक के द्वारा परमिट की प्रति दाखिल नहीं किया गया है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक दीपक कुमार के पक्ष में उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-BR26GA3889, इंजन सं0-39.1355/SYN16240, चेसिस सं0-WSTN28428117176 एवं टेलर निबंधन संख्या-BR26GA5604, इंजन सं0-00000, चेसिस सं0-SEW0029/2018 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक दीपक कुमार के

लगातार

लगातार
17.09.2021

पक्ष में उक्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या—BR26GA3889 एवं टेलर निबंधन संख्या—BR26GA5604 को मो0—8,00,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक एवं बीमा की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करेगा । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर के मुक्ति के एक माह के अंदर उक्त वाहन की तंदुरुस्ती एवं परमिट की अद्यतन प्रति की छायाप्रति की सत्यापित प्रति दाखिल करेगा तथा उक्त वाहन के मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप—स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिकय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा ।

थाना प्रभारी दाउदनगर को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त वाहन को पंचनामा बनाते हुए मुक्त करें ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।